

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

33 / 2017
20-3-2017

सन्तरा पुत्री सागर जाति कंजर निवासी सोप, तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोंक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 31-1-2017



- (1) श्री भजनलाल सेनी अपीलान्ट
- (2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 7-12-2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 31-1-2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा, नम्बर 2109 रकबा 0.04 है० (400वर्गमीटर) भूमि वाके ग्राम सोप पर मकान व बाड़ा बना कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 4000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलान्ट के उक्त भूमि पर काफी पुराने समय से मौके पर मकान बने हुए हैं। अपीलान्ट अनुसूचित जाति की महिला है उक्त भूमि का नियमन/पट्टा दिया जाना न्यायसंगत है। अपीलान्ट इस भूमि पर बने हुए मकान में अपने परिवार सहित निवास करती चली आ रही है। अपीलान्ट ने कोई नया कब्जा नहीं किया है पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के विरुद्ध कब्जे बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।



जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट ने पक्का मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था और अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं० 397/15 निर्णय दिनांक 1-10-2015 से बेदखल किया गया था एवं पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने की आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई है किन्तु उनके द्वारा अपने बचाव पक्ष व भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.04 है० वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 397/15 निर्णय दिनांक 1-10-2015 से बेदखल किया जाना जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है एवं अपीलान्ट ने स्वयं अपील प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर कब्जा कर मकान व बाड़ा बनाना स्वीकार किया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने की आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31-1-2017 द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलान्ट 21 दिवस की अवधि में अपना कब्जा हटा कर एक शपथ पत्र तथा नायब तहसीलदार सोप के न्यायालय में प्रस्तुत करें कि उसने अपना कब्जा हटा लिया है और नायब तहसीलदार यह सुनिश्चित करले की अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7-12-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला न्यायाधीश
टांक